

DECREE IN ORIGINAL SUIT

(Code of Civil Procedure 1908, Order xx Rules 6 and 7)

Civil Suit- No.43A/2018

CNR No.-CGBI060010372018

न्यायालय: व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(पीठासीन न्यायाधीश: आकांक्षा सक्सेना)

व्यवहार वाद क्रमांक-43A/2018
संस्थित दिनांक-12/10/2018

1. गोवर्धन (मृत) पिता स्व० उमैंद, आयु 30 वर्ष,
- 1 अ. आशाबाई पति स्व० गोवर्धन, आयु 28 वर्ष,
- 1 ब. खुशी पिता स्व० गोवर्धन, आयु 9 वर्ष,
- 1 स. रीमझम पिता स्व० गोवर्धन, आयु 6 वर्ष,
- 1 द. रिषि नेताम पिता स्व० गोवर्धन, आयु 2 वर्ष,
सभी निवासी ग्राम भैंसबोड, तहसील-बिल्हा,
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
2. अमरिका पति स्व० उमैंद, आयु 55 वर्ष,
3. रूपा पिता स्व० उमैंद, आयु 15 वर्ष,
नाबालिग वली मां अमरीका पति स्व० उमैंद
सभी निवासी ग्राम भैंसबोड, तहसील-बिल्हा,
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

.....वादी

//विरुद्ध //

1. उषा पति स्व. आनंद गोड, आयु 35 वर्ष,
2. अरविंद पिता स्व. आनंद गोड, आयु 14 वर्ष,
3. पूजा पिता स्व. आनंद गोड, आयु 12 वर्ष,
क्रमांक 2 एवं 3 अवयस्क द्वारा जन्मदात्री मां नैसर्गिक संरक्षिका
उषा पति स्व. आनंद गोड, तीनो निवासी ग्राम रसेडा, तहसील व
जिला- बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)
4. छ०ग० शासन,
द्वारा-जिलाध्यक्ष, बिलासपुर (छ.ग.)
5. परदेशी उर्फ राम सिंह पिता पंचराम गोड, आयु 40 वर्ष,
6. बलराम पिता रामचरण, आयु 30 वर्ष,
5 व 6 निवासी भैंसबोड, तह०- बिल्हा,
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

.....प्रतिवादीगण

Claim for- वाद वास्ते वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध विरोधी आधिपत्य के आधार पर वाद वास्ते अंश घोषणा हेतु ।

This suit coming on this day 09.07.2026 for final disposal before me in the presence of (for the plaintiff) - वादी का वाद खारिज। वादी प्रतिदावा के संबंध में एकपक्षीय।

(for the defendant-1 to 3) - द्वारा श्री गणेश नोनिया, अधिवक्ता।

It is ordered and decreed that - उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 अपना प्रतिदावा प्रमाणित करने में "असफल" रहे हैं । अतः निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है:-

- 1. प्रतिवादी क्रमांक-1 से 3 का प्रतिदावा "अस्वीकार" किया जाता है ।
- 2. उभयपक्ष स्वयं अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे ।
- 3. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा नियमानुसार देय हो।

तदनुसार आज्ञा तैयार की जावे।

and that the sum Rs. be paid by the Defendant Plaintiff

on account of costs of this suit with interest thereon at the rate of percent per annum from this date of realization.

Given under my hand and the seal of the Court this - 09 day of July 2026

(आकांक्षा सक्सेना)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

COSTS OF SUITS

Plaintiff				Defendant		
		Rs.	P.		Rs.	P.
	Stamp for Plaint	200	00	Stamp for Plaint	0	00
	Stamp for Application & affidavit	15	00	Stamp for Powers	260	00
	Stamp for Powers	10	00	Stamp for Application	40	00
	Stamp for exhibits			Stamp for Petition		
	Pleader's fee on Rupees प्रमाण पत्र पेश नहीं।	0	00	Pleader's fee प्रमाण पत्र पेश नहीं।	0	00
	Subsistence or witness			Subsistence or witness		
	Paper publication fee			service of process		
	Commissioner's fee			Commissioner's fee		
	service of process	17	00			
	Total	242	00		320	00

(आकांक्षा सक्सेना)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
बिल्हा जिला बिलासपुर छ०ग०